



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 अक्टूबर 2012-कार्तिक 4, शके 1934

भाग 3 (1)

विज्ञापन

स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएं

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल

भोपाल दिनांक 16 अक्टूबर, 2012

क्र. 2815./स्था/प्रनिबो/2012.—जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा-12 की उप-धारा (3-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, एतद्द्वारा, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेवा (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी) (भर्ती तथा सेवा शर्तें) विनियम, 1996 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्.

संशोधन

(1) अनुसूची—एक के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात् :—

अनुसूची-एक

(विनियम-5 देखिए)

अ. क्र.	सेवा में सम्मिलित पद	पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
1	2	3	4	5

1. यांत्रिकी सेवा—

1. अधीक्षण यंत्री (पर्यावरण)	9	प्रथम श्रेणी	15600-39100+7600 ग्रेड-पे
2. अधीक्षण यंत्री (खनन)	1	प्रथम श्रेणी	15600-39100+7600 ग्रेड-पे
3. कार्यपालन यंत्री (पर्यावरण)	13	प्रथम श्रेणी	15600-39100+6600 ग्रेड-पे
4. सहायक यंत्री (पर्यावरण)	26	द्वितीय श्रेणी	15600-39100+5400 ग्रेड-पे
5. सहायक यंत्री (कम्प्यूटर)	1	द्वितीय श्रेणी	15600-39100+5400 ग्रेड-पे

1	2	3	4	5
2. वैज्ञानिक सेवा—				
1.	मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी	1	प्रथम श्रेणी	37400-67000+8700 ग्रेड-पे
2.	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	4	प्रथम श्रेणी	15600-39100+7600 ग्रेड-पे
3.	मुख्य रसायनज्ञ	21	प्रथम श्रेणी	15600-39100+6600 ग्रेड-पे
4.	वैज्ञानिक	40	द्वितीय श्रेणी	15600-39100+5400 ग्रेड-पे
5.	वैज्ञानिक (भू-विज्ञान)	1	द्वितीय श्रेणी	15600-39100+5400 ग्रेड-पे
3. प्रशासनिक एवं लेखा सेवा—				
1.	वित्त अधिकारी	1	प्रथम श्रेणी	15600-39100+6600 ग्रेड-पे
2.	अनुभाग अधिकारी	4	द्वितीय श्रेणी	15600-39100+5400 ग्रेड-पे
3.	शीघ्रलेखक ग्रेड-एक	4	द्वितीय श्रेणी	15600-39100+5400 ग्रेड-पे
4. जनसम्पर्क सेवा—				
1.	सहायक जनसम्पर्क अधिकारी	2	द्वितीय श्रेणी	15600-39100+5400 ग्रेड-पे
2.	लायब्रेरियन	1	द्वितीय श्रेणी	15600-39100+5400 ग्रेड-पे
3.	सामाजिक और पर्यावरण सर्वेक्षक	1	द्वितीय श्रेणी	15600-39100+5400 ग्रेड-पे
5. विधिक सेवा—				
1.	विधि सलाहकार	1	प्रथम श्रेणी	प्रतिष्ठित अधिवक्ता की सेवाएं अनुबंध के आधार पर ली जाएंगी.
2.	सहायक विधि अधिकारी	1	द्वितीय श्रेणी	15600-39100+5400 ग्रेड-पे
6. कम्प्यूटर सेवा—				
1.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर/आपरेटर	4	द्वितीय श्रेणी	15600-39100+5400 ग्रेड-पे

(2) अनुसूची—दो में, कॉलम (1) में, अनुक्रमांक 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनुसूची-दो

[विनियम 6-(ख) देखिए]

अ. क्र.	सेवा / पद का नाम	वर्ग	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या की प्रतिशतता	
				सीधी भरती द्वारा विनियम 6(क) (एक) द्वारा	सेवा के स्थायी/अस्थायी सदस्यों की पदोन्नति द्वारा विनियम 6(क) (दो) द्वारा
1	2	3	4	5	6
“4.	सहायक यंत्री (पर्यावरण)	द्वितीय	26	80 प्रतिशत	15 प्रतिशत उपयंत्री संवर्ग से, 5 प्रतिशत मुख्य मानचित्रकार/मानचित्रकार से.”
5.	सहायक यंत्री (कम्प्यूटर)	द्वितीय	1	-	-

(3) अनुसूची- तीन में, अनुक्रमांक 3 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

अनुसूची-तीन

(विनियम 8 देखिए)

अनुक्रमांक	पद का नाम	न्यूनतम आयु	उच्चतम आयु	शैक्षणिक अर्हता	चयन समिति का गठन
1	2	3	4	5	6
4.	सहायक यंत्री (पर्यावरण)	21	35	सहायक यंत्री (पर्यावरण)के पद हेतु पर्यावरण इंजीनियरिंग में बी.ई./बी.टेक अथवा सिविल/केमिकल के साथ पर्यावरण इंजीनियरिंग में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि.	मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से
5	सहायक यंत्री (कम्प्यूटर)	21	35	सहायक यंत्री (कम्प्यूटर) के पद हेतु कम्प्यूटर इंजीनियरिंग/कम्प्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी/इलेक्ट्रॉनिक्स में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.ई/बी.टेक.	मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नाम से तथा आदेशानुसार.

Bhopal, Dated 16th October, 2012

No. 2815 Estt/MPPCB/2012.— In exercise of the powers conferred by sub-section (3-A) of section 12 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974), the Madhya Pradesh Pollution Control Board, with the prior approval of the State Government, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Pollution Control Board Service (**Class I and II**) Recruitment and Conditions of Service Regulation, 1996, namely:—

AMENDMENT

(1) For Schedule-I, the following Schedule shall be substituted, namely:—

SCHEDULE-I

(See Regulation 5)

S. No.	Post included in the service	Total Number of Posts	Classification	Scale of Pay
1	2	3	4	5
1. Engineering Service—				
1.	Superintending Engineer (Environment)	9	Class-I	15600-39100+7600 GP
2.	Superintending Engineer (Mining)	1	Class-I	15600-39100+7600 GP
3.	Executive Engineer (Environment)	13	Class-I	15600-39100+6600 GP

1	2	3	4	5
4.	Assistant Engineer (Environment)	26	Class-II	15600-39100+5400 GP
5.	Assistant Engineer (Computer)	1	Class-II	15600-39100+5400 GP
2. Scientific Service —				
1.	Chief Scientific Officer	1	Class-I	37400-67000+8700 GP
2.	Senior Scientific Officer	4	Class-I	15600-39100+7600 GP
3.	Chief Chemist	21	Class-I	15600-39100+6600 GP
4.	Scientist	40	Class-II	15600-39100+5400 GP
5.	Scientist (Geology)	1	Class-II	15600-39100+5400 GP
3. Administrative and Accounts Service—				
1.	Finance Officer	1	Class-I	15600-39100+6600 GP
2.	Section Officer	4	Class-II	15600-39100+5400 GP
3.	Stenographer Grade-I	4	Class-II	15600-39100+5400 GP
4. Public Relations Service—				
1.	Asstt. Public Relation Officer	2	Class-II	15600-39100+5400 GP
2.	Librarian	1	Class-II	15600-39100+5400 GP
3.	Social and Environmental Surveyer	1	Class-II	15600-39100+5400 GP
5. Legal Service—				
1.	Legal Advisor	1	Class-I	A reputed practitioner to be engaged on contract basis.
2.	Assistant Legal Officer	1	Class-II	15600-39100+5400 GP
6. Computer Service—				
1.	Computer Programmer/Operator	4	Class-II	15600-39100+5400 GP

(2) In Schedule-II, S.No. 4 against column number-I and entries relating thereto, the following figure against column number-I and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

SCHEDULE-II

[See Regulation 6 (b)]

S. No.	Name of Service/Post	Class	Total Number of Post	Percentage of number of post to be filled in	
				By direct recruitment by Regulation 6 (a)(i)	By promotion of permanent/temporary member of the service by Regulation 6(a)(ii)
1	2	3	4	5	6
“4	Assistant Engineer (Environment)	II	26	80%	15% from sub-Sub Engineer's cadre, 5% from Head Draftsman/Draftsman"
5	Assistant Engineer (Computer)	II	1		

(2) In Schedule-III, after serial number 3 and entries, relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely: -

SCHEDULE-III
(See Regulation-8)

S. No.	Name of Post	Minimum Age	Upper Age	Educational Qualification	Constitution of the selection Committee
1	2	3	4	5	6
4	Assistant Engineer (Environment)	21	35	For the post of Assistant Engineer (Environment)- B.E./ B.Tech in Environmental Engineering or Civil/ Chemical with Master Degree in Environmental Engineering from recognized University.	Through Madhya Pradesh Public Service Commission
5	Assistant Engineer (Computer)	21	35	For the post of Assistant Engineer (Computer) - B.E./ B.Tech in Computer Engineering/ Computer Science/I.T./ Electronics from recognized University.	Through Madhya Pradesh Public Service Commission.

For and on behalf of M.P. Pollution Control Board

भोपाल दिनांक 16 अक्टूबर, 2012

क्र. 2816/स्था./प्रनिबो/2012 —जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा-12 की उप-धारा (3-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, एतद्द्वारा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेवा (तृतीय श्रेणी) (भरती तथा सेवा शर्तें) विनियम, 1996 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्,

संशोधन

(1) अनुसूची- एक के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात् :-

“अनुसूची-एक
(विनियम-5 देखिए)

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पद	पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
1	2	3	4	5
1. अभियांत्रिकी सेवा—				
1.	मुख्य मानचित्रकार	1	तृतीय श्रेणी	9300-34800+3200 ग्रेड-पे
2.	उपयंत्री	5	तृतीय श्रेणी	9300-34800+3200 ग्रेड-पे
3.	मानचित्रकार	3	तृतीय श्रेणी	9300-34800+3200 ग्रेड-पे
4.	सहायक मानचित्रकार	6	तृतीय श्रेणी	5200-20200+2400 ग्रेड-पे
5.	अनुरेखक	11	तृतीय श्रेणी	5200-20200+1900 ग्रेड-पे

1	2	3	4	5
2. वैज्ञानिक सेवा —				
1.	कनिष्ठ वैज्ञानिक/ ऑपरेटर सहायक	20	तृतीय श्रेणी	9300-34800+4200 ग्रेड-पे
2.	रसायनज्ञ	71	तृतीय श्रेणी	9300-34800+3600 ग्रेड-पे
3.	प्रयोगशाला सहायक/ सेम्पलर	49	तृतीय श्रेणी	5200-20200+2400 ग्रेड-पे
3. प्रशासनिक एवं लेखा सेवा —				
1.	अधीक्षक/वरिष्ठ लेखापाल	7	तृतीय श्रेणी	9300-34800+4200 ग्रेड-पे
2.	वरिष्ठ अंकेक्षक	1	तृतीय श्रेणी	9300-34800+4200 ग्रेड-पे
3.	सहायक अधीक्षक/लेखापाल/अंकेक्षक	21	तृतीय श्रेणी	9300-34800+3600 ग्रेड-पे
4.	उच्च श्रेणी लिपिक/लेखा लिपिक	30	तृतीय श्रेणी	5200-20200+2400 ग्रेड-पे
5.	शीघ्रलेखक ग्रेड-दो	13	तृतीय श्रेणी	9300-34800+4200 ग्रेड-पे
6.	शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन	19	तृतीय श्रेणी	9300-34800+3600 ग्रेड-पे
7.	स्टेनोग्राफिस्ट/निम्न श्रेणी लिपिक/ टाइपिस्ट/टेलीफोन ऑपरेटर	58	तृतीय श्रेणी	5200-20200+1900 ग्रेड-पे
8.	मैकेनिक	1	तृतीय श्रेणी	5200-20200+2400 ग्रेड-पे
9.	वाहन चालक	34	तृतीय श्रेणी	5200-20200+1900 ग्रेड-पे
10.	सुपरवाइजर ग्रेड-एक	1	तृतीय श्रेणी	5200-20200+2400 ग्रेड-पे
11.	सुपरवाइजर ग्रेड-दो	3	तृतीय श्रेणी	5200-20200+1900 ग्रेड-पे
12.	इलैक्ट्रीशियन	1	तृतीय श्रेणी	5200-20200+1900 ग्रेड-पे
13.	कृषि सहायक	1	तृतीय श्रेणी	9300-34800+3200 ग्रेड-पे
4. जन सम्पर्क एवं लेखा सेवा —				
1.	प्रचार सहायक	2	तृतीय श्रेणी	9300-34800+3200 ग्रेड-पे
5. विधि सेवा —				
1.	विधि सहायक ग्रेड-एक	1	तृतीय श्रेणी	9300-34800+4200 ग्रेड-पे
2.	विधि सहायक ग्रेड-दो	1	तृतीय श्रेणी	9300-34800+3200 ग्रेड-पे
6. कम्प्यूटर सेवा —				
1.	डाटा सहायक ग्रेड-एक	2	तृतीय श्रेणी	9300-34800+4200 ग्रेड-पे
2.	डाटा सहायक ग्रेड-दो	2	तृतीय श्रेणी	9300-34800+3200 ग्रेड-पे
3.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	7	तृतीय श्रेणी	5200-20200+2400 ग्रेड-पे''

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नाम से
तथा आदेशानुसार.

Bhopal, Dated 16th October, 2012

No. 2816 Estt/MPPCB/2012.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3-A) of section 12 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974), the Madhya Pradesh Pollution Control Board, with the prior approval of the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Pollution Control Board Services (Class III) Recruitment and Conditions of Services Regulation, 1996, namely:-

AMENDMENT

(1) For Schedule-I, the following of Schedule shall be substituted, namely :—

“SCHEDULE-I

(See Regulation-5)

S. No.	Post included in the service	Total Numbers of Posts	Classification	Scale of Pay
1	2	3	4	5
1. Engineering Service -				
1.	Head Draftsman	1	Class-III	9300-34800+3200 GP
2.	Sub - Engineer	5	Class-III	9300-34800+3200 GP
3.	Draftsman	3	Class-III	9300-34800+3200 GP
4.	Assistant Draftsman	6	Class-III	5200-20200+2400GP
5.	Tracer	11	Class-III	5200-20200+1900GP
2. Scientific Service —				
1.	Junior Scientist/Operator Assistant	20	Class-III	9300-34800+4200 GP
2.	Chemist	71	Class-III	9300-34800+3600 GP
3.	Laboratory Asstt./Sempler	49	Class-III	5200-20200+2400 GP
3. Administrative and Accounts Service-				
1.	Superintendents/Sr. Accountant	7	Class-III	9300-34800+4200 GP
2.	Senior Auditor	1	Class-III	9300-34800+4200 GP
3.	Asstt.Superintendent/Accountant/ Auditor	21	Class-III	9300-34800+3600 GP
4.	Upper Division Clerk/Account Clerk	30	Class-III	5200-20200+2400 GP
5.	Stenographer Grade II	13	Class-III	9300-34800+4200 GP
6.	Stenographer Grade III	19	Class-III	9300-34800+3600 GP
7.	Steno-Typist, Lower Division Clerk Typist/ Telephone Operator.	58	Class-III	5200-20200+1900 GP
8.	Mechanic	1	Class-III	5200-20200+2400 GP
9.	Vehicle Driver	34	Class-III	5200-20200+1900 GP
10.	Supervisor Grade I	1	Class-III	5200-20200+2400 GP
11.	Supervisor Grade II	3	Class-III	5200-20200+1900 GP
12.	Electrician	1	Class-III	5200-20200+1900 GP
13.	Agriculture Assistant	1	Class-III	9300-34800+3200 GP
4. Public Relations and Accounts Service-				
1.	Publicity Assistant	2	Class-III	9300-34800+3200 GP
5. Legal Service-				
1.	Legal Assistant Grade I	1	Class-III	9300-34800+4200 GP
2.	Legal Assistant Grade II	1	Class-III	9300-34800+3200 GP
6. Computer Service-				
1.	Data Assistant Grade I	2	Class-III	9300-34800+4200 GP
2.	Data Assistant Grade II	2	Class-III	9300-34800+3200 GP
3.	Data Entry Opreter	7	Class-III	5200-20200+2400GP"

For and on behalf of M.P. Pollution Control Board.

भोपाल दिनांक 16 अक्टूबर, 2012

क्र. 2817/स्था./प्रनिबो/2012.—जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा-12 की उप-धारा (3-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, एतद्वारा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेवा (चतुर्थ श्रेणी) (भरती तथा सेवा शर्तें) विनियम, 1996 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्,

संशोधन

अनुसूची- एक के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“अनुसूची-एक
(विनियम-2 देखिए)

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पद	पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
1	2	3	4	5
1.	प्रयोगशाला परिचारक	75	चतुर्थ श्रेणी	5200-20200+1800 ग्रेड-पे
2.	टेलीफोन अटेंडेन्ट	1	चतुर्थ श्रेणी	4440-7440+1400 ग्रेड-पे
3.	दफ्तरी	22	चतुर्थ श्रेणी	4440-7440+1400 ग्रेड-पे
4.	चपरासी/चौकीदार	157	चतुर्थ श्रेणी	4440-7440+1300 ग्रेड-पे
5.	स्वीपर	12	चतुर्थ श्रेणी	4440-7440+1300 ग्रेड-पे”

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नाम से
तथा आदेशानुसार.

Bhopal, Dated 16th October, 2012

No. 2817/Estt/MPPCB/2012 In exercise of the powers conferred by sub-section (3-A) of section 12 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974), the Madhya Pradesh Pollution Control Board, with the prior approval of the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Pollution Control Board Services (Class IV) Recruitment and Conditions of Service Regulation, 1996, namely,

AMENDMENT

For Schedule-I, the following of Schedule shall be substituted, namely :—

“**SCHEDULE-I**
(See Regulation -2)

S. No.	Post included in the servic	Total Number of Posts	Classification	Scale of Pay
1	2	3	4	5
1.	Laboratory Attendant	75	Class-IV	5200-20200+1800 GP
2.	Telephone Attendant	1	Class-IV	4440-7440+1400 GP
3.	Daftari	22	Class-IV	4440-7440+1400 GP
4.	Peon/Chowkidar	157	Class-IV	4440-7440+1300 GP
5.	Sweeper	12	Class-IV	4440-7440+1300 GP”

For and on behalf of M.P. Pollution Control Board

R. K. JAIN,
Member Secretary.

विज्ञापन**अन्य सूचनाएं****उप-नाम परिवर्तन**

मैं, अशोक कुमार विनोदिया पिता स्व. श्री गुलाब चंद्र विनोदिया उम्र 51 वर्ष, निवासी डी-11, पंचशील नगर, ग्वारीघाट रोड, जबलपुर (म.प्र.) शपथ-पत्र के द्वारा पूर्व में मेरा नाम अशोक कुमार कोरी था, जिसका सरनेम परिवर्तित कर अशोक कुमार विनोदिया किया है, जिसे पासपोर्ट में बनवाने हेतु आवेदन के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ.

पुराना नाम :

नया नाम :

(अशोक कुमार कोरी)

(अशोक कुमार विनोदिया)

(179-बी.)

डी-11, पंचशील नगर, ग्वारीघाट रोड,
जबलपुर (म.प्र.).**उप-नाम परिवर्तन**

सूचित किया जाता है कि मैं, लखन सिंह पुत्र श्री केहरी सिंह भदौरिया निवासी-227, सूर्य विहार कॉलोनी, पिन्टो पार्क, मुरार, ग्वालियर (म.प्र.) यह कि मुझ प्रार्थी का पूर्व नाम लखन सिंह भदौरिया अंकित है. जो कि सभी शिक्षण दस्तावेजों में पूरा नाम लखन सिंह भदौरिया अंकित था जो कि अब मैंने अपना नाम लखन सिंह भदौरिया के स्थान पर सिर्फ लखन सिंह लिखना प्रारम्भ कर दिया है.

अतः और मुझे भविष्य में भी लखन सिंह के नाम से ही जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :

नया नाम :

(लखन सिंह भदौरिया)

(लखन सिंह)

(180-बी.)

निवासी-227, सूर्य विहार कॉलोनी, पिन्टो पार्क,
मुरार, ग्वालियर (म.प्र.).**जाहिर सूचना**

दिनांक अगस्त 2003 को दैनिक स्वदेश समाचार-पत्र में प्रकाशित सरनेम परिवर्तन की सूचना के अनुसार मेरा सरनेम मालवीय के स्थान पर उपाध्याय कर दिया गया है. तदनुसार अब मेरा पूरा नाम पियूष मालवीय के स्थान पर पियूष उपाध्याय हो गया है. अतः अब मेरा नाम समस्त सन्दर्भ एवम् व्यवहार में पियूष उपाध्याय रहेगा. मेरे निवास के पते में भी परिवर्तन होकर अब मेरा निवास का पता- "करुणायनम्", 98, स्कीम नम्बर 113, विजय नगर, इन्दौर (म.प्र.) हो गया है.

अतः इस जाहिर सूचना के अनुसार परिवर्तन प्रचलन में माना जाए.

पुराना नाम :

नया नाम :

(पियूष मालवीय)

(पियूष उपाध्याय)

(177-बी.)

"करुणायनम्", 98, स्कीम नम्बर 113,
विजय नगर, इन्दौर (म.प्र.).**उप-नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने अपना नाम निशा चौधरी पति अनिल चौधरी से परिवर्तित कर निशा जैन पति अनिल चौधरी रख लिया है. सूचित होंगे.

पुराना नाम :

नया नाम :

(निशा चौधरी)

(निशा जैन)

(178-बी.)

पति अनिल चौधरी,
गांधी चौक, जैन मोहल्ला, गरोठ (म.प्र.)
जिला मंदसौर.

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम विकास जैन था, जिसमें मैंने अपना उप-नाम बदलकर विकास कुमार छाजेड़ कर लिया है. अब मुझे विकास कुमार छाजेड़ नाम से लिखा-पढ़ा एवं जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(विकास जैन)

(181-बी.)

नया नाम :

(विकास कुमार छाजेड़)

(VIKASH KUMAR CHHAJER)

पता-304, शुभ प्रथम अपार्टमेंट,

7, खण्डेलवाल नगर, नवलखा, इन्दौर (म.प्र.)

जाहिर सूचना

भागीदारी अधिनियम, 1932 के प्रावधानों के अन्तर्गत जन-साधारण को यह सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स पैराडाइज कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, होटल पैराडाइज के पास, दीनदयाल नगर, मकरोनिया, सागर (म.प्र.) के पूर्व भागीदार (1) श्री सुल्तानसिंह राय पिता श्री श्यामलाल राय (2) श्री पुरुषोत्तम राय पिता श्री सुल्तान सिंह राय एवं (3) श्री पुष्पेन्द्र सिंह राय पिता श्री सुल्तान सिंह राय अपनी स्वेच्छानुसार फर्म से दिनांक 25 जुलाई, 2012 से प्रभावशील होकर अलग हो गए हैं.

भागीदारी पत्रक के उपबंधों के अनुसार यह भागीदारी फर्म उपरोक्त परिवर्तन के पश्चात् आगे जारी रखने का निर्णय किया जाकर क्रमशः चालू रखी गई है.

सागर, दिनांक 8 अगस्त, 2012

सूचनाकर्ता

लक्ष्मीशंकर केशरवानी (भागीदार)

वास्ते-मेसर्स पैराडाइज कन्स्ट्रक्शन कम्पनी,

दीनदयाल नगर, सागर (म.प्र.)

(182-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास अनुभाग, सीहोर

प्र. क्र. 04/बी-113 (1)/2011-12.

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 का नियम-5 (1) द्वारा]

श्री सूरज प्रसाद, अध्यक्ष, जगदीश मंदिर, गरीबदास,

उर्फ टाट बाबा पंवार (परमार) क्षत्रिय समाज ट्रस्ट, छावनी, सीहोर.

..... आवेदक

विरुद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन

2. सर्व-साधारण

..... अनावेदकगण

उद्घोषणा-पत्र

चूंकि श्री सूरज प्रसाद पंवार, अध्यक्ष, जगदीश मंदिर, गरीबदास उर्फ टाट बाबा पंवार (परमार) क्षत्रिय समाज ट्रस्ट, सीहोर द्वारा तीन ट्रस्टीगण की मृत्यु हो जाने के कारण मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम की धारा-25 के अंतर्गत निम्नानुसार व्यक्तियों के नाम सदस्यों के रूप में जोड़े जाने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है—

1. रूकमणी रोहिला पुत्री स्व. श्री अमरचंद रोहिला, निवासी खजांची लाईन, सीहोर.

2. श्री चंदरसिंह आ. बाबूलाल परमार, निवासी ग्राम बड़नगर, तहसील सीहोर.

3. श्री सुरेश कुमार परमार आ. लाडसिंह परमार, निवासी पल्टन एरिया, सीहोर.

अतः एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि उक्त व्यक्तियों के नाम ट्रस्टीगण के रूप में जोड़े जाने के संबंध में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति अथवा आक्षेप हो, तो वह अपनी आपत्ति मेरे न्यायालय में दिनांक 22 नवम्बर, 2012 तक न्यायालयीन समय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं. म्याद पश्चात् प्राप्त आपत्तियों अथवा आक्षेपों पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जायेगा.

आज दिनांक 07 सितम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

हृदयेश कुमार श्रीवास्तव,
पंजीयक.

(497)

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी रा. एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट थादंला, जिला झाबुआ
फॉर्म-चार**

[नियम-5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, अधिनियम 1951 की धारा-5 (2) के तहत]

आवेदक श्री अनिलकुमार भंसाली, (अध्यक्ष) निवासी थादंला द्वारा "थादंला चेरिटेबल ट्रस्ट थादंला" को सार्वजनिक लोक न्यास के रूप में पंजीयन किये जाने हेतु आवेदन-पत्र मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट विधान की धारा 4-5 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है, जिसकी सुनवाई दिनांक 16 नवम्बर, 2012 को उप-खण्ड न्यायालय थादंला में समय प्रातः 11.00 बजे की जावेगी.

अतः एवं जिस किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट की सम्पत्ति के प्रति रूचि हो, प्रकरण में नियत दिनांक 16 नवम्बर, 2012 को इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियाँ प्रस्तुत करें, और स्वयं या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के द्वारा प्रातः 11.00 बजे उक्त दिनांक को उपस्थित हों, निर्धारित समय समाप्त होने पर प्रस्तुत आवेदन-पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम /पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

न्यास का पूरा नाम : "थादंला चेरिटेबल ट्रस्ट थादंला"
अचल सम्पत्ति : निरंक
चल सम्पत्ति : रुपये 11,000/- (ग्यारह हजार, मात्र) झाबुआ-धार
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में जमा हैं.

नोट.—उक्त ट्रस्ट से संबंधित डीडी/दस्तावेजों का अवलोकन इस न्यायालय में किया जा सकता है.

प्रहलाद अमरचिया,
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

(511)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं संयुक्त कलेक्टर, उज्जैन

प्र. क्र. 12/बी-113/2011-12.

उज्जैन, दिनांक 10 अक्टूबर, 2012

प्रारूप-चार

[नियम-5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1951 का 30) की धारा-5 की उप-धारा (2)

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिये]

पंजीयक,

लोक न्यास, उज्जैन

जिला उज्जैन के समक्ष.

चूंकि प्रतिनिधि श्री अभय मराठे पिता श्री वसंतरावजी मराठे, निवासी सी-7/19, ऋषि नगर, उज्जैन आदि ने मराठी व्यवसायिक मण्डल न्यास, उज्जैन ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की

सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है। एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 14 नवम्बर, 2012 को प्रातः 11.00 बजे स्थान कोठी पैलेस, उज्जैन का विचार के लिए लिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है।

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास एवं संयुक्त कलेक्टर, उज्जैन, जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयन अपने न्यायालय में दिनांक 14 नवम्बर, 2012 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा।

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता)

न्यास का नाम	..	मराठी व्यवसायिक मंडल न्यास, उज्जैन
कार्यालय	..	190 सेठी नगर, उज्जैन
अचल सम्पत्ति	..	निरंक
चल सम्पत्ति	..	नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक के खाता क्रमांक 940110100007045 में प्रस्तुत बैंक पासबुक की छायाप्रति अनुसार 1,39,961/- रुपए जमा हैं।

(512)

आर. एस. मीना,
पंजीयक एवं संयुक्त कलेक्टर.

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

“महिला चेरिटेबल ट्रस्ट, इन्दौर” कार्यालय 93, विध्यांचल नगर, इन्दौर, की ओर से श्रीमती मंजू भलीका निवासी—247, सुखदेव नगर, इन्दौर एवं अन्य 5 द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्याय के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम	:	“महिला चेरिटेबल ट्रस्ट, इन्दौर”
पता	:	93, विध्यांचल नगर, इन्दौर
अचल सम्पत्ति	:	निरंक

चल सम्पत्ति : रुपये 1,100/- (अक्षरी रुपये एक हजार, एक सौ मात्र)

आज दिनांक 22 सितम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(513)

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

“श्री इन्दौर लोहाणा महिला मण्डल न्यास, इन्दौर” कार्यालय 63/1, सुमित अपार्टमेंट स्नेहलतागंज, इन्दौर की ओर से श्रीमती मीनाबेन पत्नि कमल भाई गणत्रा, निवासी—2/4, स्नेहलतागंज, इन्दौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम : “श्री इन्दौर लोहाणा महिला मण्डल न्यास, इन्दौर”

पता : 63/1, सुमित अपार्टमेंट स्नेहलतागंज, इन्दौर।

अचल सम्पत्ति : स्नेहलतागंज, इन्दौर स्थित प्लॉट नं. 63 ए/1, सुमित अपार्टमेंट चार प्रकोष्ठ क्रमांक 5, 6, 7 व 8 कुल कीमत रु. 3,10,000/- एवं 63-बी स्नेहलतागंज, इन्दौर स्थित संस्कृति अपार्टमेंट प्रकोष्ठ क्रमांक 104, प्रथम मंजिल कीमत रु. 3,02,000/-.

चल सम्पत्ति : परिशिष्ट “अ” अनुसार चल सम्पत्तियां एवं बैंक में सावधि जमा राशि रुपये दस लाख, पचपन हजार, तीन सौ पिचान्हे मात्र।

आज दिनांक 22 सितम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

शरद श्रोत्रिय,
रजिस्ट्रार.

(513-A)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, राहतगढ़, जिला सागर

राहतगढ़, दिनांक 12 अक्टूबर, 2012

प्ररूप-चार

[नियम-5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उप-धारा (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1952 का नियम-5 (1) देखिये]

चूँकि ठा. चन्द्रप्रताप सिंह पुत्र श्री महेन्द्र प्रताप सिंह, निवासी अमर इंजीनियरिंग फैक्ट्री जेल रोड, खुरई, तहसील- खुरई, जिला सागर ने

मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है। एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 16 नवम्बर, 2012 को विचार के लिये लिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है।

अतः मैं, सुरेश अग्रवाल, अनुविभागीय अधिकारी, राहतगढ़, जिला सागर का लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 16 नवम्बर, 2012 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता)

न्यास का नाम माँ ज्वालादेवी सेवा ट्रस्ट, ग्राम जलंधर, तहसील राहतगढ़, जिला सागर.

चल सम्पत्ति के ब्योरे—

क्रमांक	चल सम्पत्ति- जेबर
(1)	(2)
1.	माँ के दो मुकुट चाँदी के बजन 500 ग्राम कीमत 14500/- रुपये.
2.	माँ की पायलें चाँदी की चार नग बजन 1 किलो कीमत 29000/- रुपये.
3.	माँ की करधोनी चाँदी की 2 नग बजन 500 ग्राम कीमत 14500/- रुपये.
4.	माँ का छत्र बड़ा चाँदी का 1 नग बजन 1 किलो 600 ग्राम कीमत 44000/-रुपये.
5.	माँ के छोटे-बड़े छत्र चाँदी के बजन 750 ग्राम कीमत 21000/- रुपये.
6.	माँ की पलंग पेटी (लोहे की) कीमत 4000/- रुपये.
7.	कठवा की चार पेटियां कीमत 10000/- रुपये.
8.	एक घंटा बड़ा काँसे-पीतल का 51 किलो कीमत 21000/- रुपये.
9.	एक सिंघासन लकड़ी कीमत 500/- रुपये.
10.	दो ट्यूबबेल मय समवरसीबल पंप सहित कीमत दो लाख रुपये.
11.	माँ की रजाई-गद्दा 12 नग कीमत 5000/-रुपये.
12.	तबेला बड़ा एलमुनियम 1 नग कीमत 1200/-रुपये.
13.	स्टील की थाली 7 नग कीमत 250/- रुपये.
14.	गैस सिलेण्डर 1 नग कीमत 2000/-रुपये.
15.	गैस चूल्हा 1 नग कीमत 1200/-रुपये.
16.	लोटा, कटोरा, गिलास 20 नग कीमत 200/-रुपये.
17.	लोहे की कढ़ाई 1 नग कीमत 300/-रुपये.
18.	इलेक्ट्रिक आरती मशीन कम्पलीट 1 नग कीमत 11900/-रुपये.
19.	शंख-झालर 4 नग कीमत 300/-रुपये.

(1)	(2)
20.	हारमोनियम 1 नग कीमत 3000/- रुपये.
21.	ढोलक 1 नग कीमत 600/-रुपये.
22.	झूला 2 नग कीमत 200/-रुपये.
23.	तारे 1 जोड़ी कीमत 100/-रुपये.
24.	एम्पलीफायर सेट 1 (दो स्टेण्ड, दो हार्न)कीमत 3300/-रुपये.
25.	लकड़ी की चौकी, पटा 5 नग कीमत 250/-रुपये.
26.	कपड़े के चदेबा (चाँदनी) 4 नग कीमत 2000/-रुपये.
27.	माँ की साड़ियां- ब्लाउस सहित 10 नग कीमत 1500/-रुपये.
28.	पाईप की तिगोडी 1 नग कीमत 500/-रुपये.
29.	चेनपाना 2 नग कीमत 1000/-रुपये.
30.	लोहे की तिजोड़ियां 3 नग कीमत 15000/-रुपये.
31.	सीलिंग फेन 7 बड़े, 2 छोटे कीमत 12500/-रुपये.
32.	अलटरनेटर एक नग कीमत 8000/- रुपये.
33.	बैंक खाता—

अचल सम्पत्ति—

1. माँ ज्वालादेवी माई मंदिर जो कि 100 X 125= 12500 वर्गफीट में निर्मित है, जिसकी कीमत लगभग एक करोड़ रुपये है.
2. माँ ज्वालादेवी जलंधर स्थित मंदिर का सम्पूर्ण परिसर जो 5 हेक्टेयर में है, कीमत लगभग 15 लाख रुपये.
3. रामलीला मैदान एवं मेला ग्राउण्ड जो कि 2 हेक्टेयर में है, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपये है.
4. निर्मित तीन टंकियां, पानी हेतु (25 हजार लीटर, 12 हजार लीटर, 10 हजार लीटर) है, कीमत 2 लाख 25 हजार रुपये.
5. श्री देव शिवालय (नर्मदेश्वर शिव पंचायत) मंदिर कीमत 3 लाख रुपये.
6. श्री देव पाताली हनुमान जी का मंदिर कीमत 1 लाख रुपये.
7. श्री देव हनुमान जी मढ़िया कीमत 5 हजार रुपये.
8. माता ज्वालामाई का वर्तमान रसोई भवन कीमत लगभग 20 हजार रुपये.
9. 351 सीढ़ियों का जीना, गेट सहित कीमत 3 लाख रुपये.
10. मेला ग्राउण्ड से दूसरी 90 सीढ़ियों का जीना कीमत 1 लाख, 25 हजार रुपये.
11. मंदिर श्री वर्तमान धर्मशाला कीमत लगभग 6 लाख रुपये.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला होशंगाबाद

होशंगाबाद, दिनांक 21 सितम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/Q.—उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्नांकित समितियों को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत संशोधित आदेश क्रमांक 965, दिनांक 31 अगस्त, 2012 से मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	मिनिस्ट्रीयल कर्म. गृह निर्माण सह. सं., होशंगाबाद	26/25-2-1965	505/26-4-2007
2.	तिलहन उत्पादक सह. समिति मर्या., निमसाडिया	2143/6-10-1982	834/11-6-2009
3.	तिलहन उत्पादक सह. समिति मर्या., डांगीबाड़ा	2234/22-10-1983	836/11-6-2009
4.	तिलहन उत्पादक सह. समिति मर्या., तीखड़	2142/6-10-1982	837/11-6-2009
5.	तिलहन उत्पादक सह. समिति मर्या., कोटलाखेड़ी	2275/14-10-1987	1017/4-7-2009
6.	मत्स्य उत्पादक सह. समिति मर्या., चाटूआ	2510/27-10-1995	1022/4-7-2009
7.	मत्स्योद्योग सह. समिति मर्या., पिपल्याकलाँ	2529/5-12-1995	1023/4-7-2009
8.	नवीन चर्म उद्योग सह. समिति मर्या., पालाखेड़ी	2543/11-1-1996	1025/4-7-2009
9.	एस. टी. एस. सी. गिट्टी रेत खदान सं. टेमलाकलाँ	2388/25-3-1995	1478/7-9-2000

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो (2) माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(502)

एन. एल. कुशवाहा,

परिसमापक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्र. 273, दिनांक 06 फरवरी, 2008 द्वारा नेशनल सहकारी साख संस्था मर्या., उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 753, दिनांक 19 मई, 1987 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री विनायक राजुरकर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 सितम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(503)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्र. 273, दिनांक 06 फरवरी, 2008 द्वारा दि अंबिका सहकारी साख संस्था मर्या., उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 746, दिनांक 23 फरवरी, 1987 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री विनायक राजुरकर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 18 सितम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(503-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., ताजपुर, तहसील व जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 396 दिनांक 20 सितम्बर, 1976 आदेश क्रमांक 1348, दिनांक 27 जून, 2007 से परिसमापन में लाया गया था. परिसमापन में लाये जाने के कारण संस्था की निष्क्रियता व अकार्यशीलता थी.

संस्था के परिसमापक द्वारा आवेदन में दर्शाया है कि संस्था के अधिकांश सदस्यों ने संस्था को पुनर्जीवित करने की मांग की है एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा की है.

उज्जैन दुग्ध सह. संघ से सम्बद्ध संस्था है. संघ द्वारा अपने पत्र क्रमांक 95, दिनांक 29 मार्च, 2012 से संस्था को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा की है.

अतः सहकारिता के सिद्धान्तों एवं सदस्यों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है. अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्टित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक 1348, दिनांक 27 जून, 2007 को निरस्त कर अधिनियम की धारा-69(4) के अन्तर्गत दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., ताजपुर, तहसील व जिला उज्जैन पंजीयन क्रमांक 396, दिनांक 20 सितम्बर, 1976 को पुनर्जीवित करता हूँ. साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु नवीन निर्वाचन होने तक सहकारिता विस्तार अधिकारी उज्जैन को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 सितम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(503-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(सी/ग) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था, कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	माँ भगवती महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., जैथल, तहसील घटिया.	पंजी. क्र. 1738, दि. 31 दिसम्बर, 2009

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ तथा प्रेषित जवाब समाधानकारक नहीं पाया गया. सहायक पंजीयक, (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं उज्जैन के पत्र क्रमांक/अंके./2012/190, दिनांक 11 मई, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था अकार्यशील है. उद्देश्यानुसार कार्य नहीं करना, स्पष्ट करता है कि संस्था के पदाधिकारीगण संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ. तथा अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1.	माँ भगवती महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., जैथल तहसील घटिया.	पंजी. क्र. 1738, दि. 31 दिसम्बर, 2009	श्री एस. के मालवीय, सह. निरी. एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, घटिया.

यह आदेश आज दिनांक 20 सितम्बर, 2012 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(503-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(सी/ग) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था, कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	श्री राम बीज उत्पादक विपणन एवं प्रक्रिया सहकारी समिति मर्या., घटिया, तहसील घटिया.	पंजी. क्र. 1734, दि. 10 अक्टूबर, 2009

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ तथा प्रेषित जवाब समाधान कारक नहीं पाया गया. सहायक पंजीयक, (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं उज्जैन के पत्र क्रमांक/अंके./2012/190, दिनांक 11 मई, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था अकार्यशील है. उद्देश्यानुसार कार्य नहीं करना, स्पष्ट करता है कि संस्था के पदाधिकारीगण संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1.	श्री राम बीज उत्पादक विपणन एवं प्रक्रिया सहकारी समिति मर्या., घटिया, तहसील घटिया.	पंजी. क्र. 1734, दि. 10 अक्टूबर, 2009	श्री एस. के मालवीय, सह. निरी. एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, घटिया.

यह आदेश आज दिनांक 20 सितम्बर, 2012 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(503-D)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(सी/ग) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था, कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	माँ लक्ष्मी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., जलवा तहसील घटिया.	पंजी. क्र. 1739, दि. 05 जनवरी, 2010

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ तथा प्रेषित जवाब समाधान कारक नहीं पाया गया. सहायक पंजीयक, (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं उज्जैन के पत्र क्रमांक/अंके./2012/190, दिनांक 11 मई, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था अकार्यशील है. उद्देश्यानुसार कार्य नहीं करना, स्पष्ट करता है कि संस्था के पदाधिकारीगण संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1.	माँ लक्ष्मी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., जलवा, तहसील घटिया.	पंजी. क्र. 1739, दि. 05 जनवरी, 2010	श्री एस. के मालवीय, सह. निरी. एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, घटिया.

यह आदेश आज दिनांक 20 सितम्बर, 2012 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(503-E)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(सी/ग) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि, क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	माँ अन्नपूर्णा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., घटिया, तहसील घटिया.	पंजी. क्र. 1737, दि. 31 दिसम्बर, 2009

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ तथा प्रेषित जवाब समाधान कारक नहीं पाया गया. सहायक पंजीयक, (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं उज्जैन के पत्र क्रमांक/अंके./2012/190, दिनांक 11 मई, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था अकार्यशील है. उद्देश्यानुसार कार्य नहीं करना, स्पष्ट करता है कि संस्था के पदाधिकारीगण संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1.	माँ अन्नपूर्णा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., घटिया, तहसील घटिया.	पंजी. क्र. 1737, दि. 31 दिसम्बर, 2009	श्री एस. के मालवीय, सह. निरी. एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, घटिया.

यह आदेश आज दिनांक 20 सितम्बर, 2012 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(503-F)

मनोज जायसवाल,
उप-पंजीयक.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 अक्टूबर-2012-कार्तिक 4, शके 1934

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 11 जुलाई, 2012

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में इस सप्ताह प्रायः आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है:—

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील मझगवां, नागौद, अमरपाटन, मैहर (सतना), मेघनगर, झाबुआ, राणापुर (झाबुआ), उदयगढ़ (अलीराजपुर), डही (धार), बड़वानी, पाटी (बड़वानी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील मुंगावली (अशोकनगर), राजनगर (छतरपुर), राहतगढ़, (सागर), रघुराजनगर, रामपुर-बघेलान, उचेहरा (सतना), थांदला, पेटलावद (झाबुआ), अलीराजपुर, सोण्डवा (अलीराजपुर), धार, कुक्षी, मनावर, धरमपुरी, गंधवानी, (धार), खरगौन (खरगौन), पानसेमल (बड़वानी), बिछुआ (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील आरोन (गुना), ओरछा (टीकमगढ़), रहली (सागर), बटियागढ़ (दमोह), रामपुरनैकिन (सीधी), उज्जैन (उज्जैन), भामरा (अलीराजपुर), सरदारपुर (धार), सेगांव (खरगौन), राजपुर (बड़वानी), बुरहानपुर (बुरहानपुर), बैरसिया (भोपाल), सिरोंज, कुरवाई, बासौदा, (विदिशा), कंटगी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.—तहसील श्योपुर, कराहल, विजयपुर (श्योपुर), ग्वालियर, डबरा, भितरवार, घाटीगांव (ग्वालियर), सेंवड़ा, दतिया, भाण्डेर (दतिया), शिवपुरी, पिछौर, खनियाधाना, नरवर, करैरा, कोलारस, पोहरी, बदरवास (शिवपुरी), ईसागढ़, अशोकनगर, चन्देरी (अशोकनगर), गुना, राधोगढ़, बमोरी, चाचोड़ा, कुम्भराज (गुना), निवाड़ी, पृथ्वीपुर, जतारा, टीकमगढ़, बल्देवगढ़, पलेरा (टीकमगढ़), लौण्डी, गौरीहार, नौगांव, छतरपुर, बिजावर, बड़ामल्हरा, बकस्वाहा (छतरपुर), अजयगढ़, पन्ना, पवई, शाहनगर (पन्ना), बीना, खुरई, बण्डा, सागर, देवरी, गढ़ाकोटा, केसली, मालशौन, शाहगढ़ (सागर), हटा, पथरिया, जवेरा, तेन्दूखेड़ा, पटेरा (दमोह), रामनगर (सतना), त्योंथर, सिरमोर, मऊगंज, हनुमना, गुढ़, रामपुर-कर्चुलियान (रीवा), सोहागपुर, ब्यौहारी, जैसिहनगर, जैतपुर, बुढार (शहडोल), जेतहरी, अनूपपुर, कोतमा, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), बांधवगढ़, पाली, मानपुर (उमरिया), गोपदवनास, सिंहावल, मझौली, कुसमी, चुरहट (सीधी), सुबासरा-टप्पा, मानपुर,

मल्हारगढ़, गरोठ, मंदसौर, धुन्धड़का, सीतामऊ, शामगढ़, संजीत (मंदसौर), जावद, नीमच (नीमच), खाचरौद, महिदपुर, तराना, घटिया, बड़नगर, नागदा (उज्जैन), मो. बड़ोदिया, सुसनेर, नलखेड़ा, आगर, बडोद, शाजापुर, शुजालपुर, कालापीपल, गुलाना (शाजापुर), जोवट, कट्टीबाडा (अलीराजपुर), बदनावर (धार), बडवाह, महेश्वर, गोगावां, कसरावद, भगवानपुरा, भीकनगांव, झिरन्या (खरगौन), ठीकरी, सेंधवा, निवाली, अंजडवरला (बड़वानी), खण्डवा, पंधाना, हरसूद (खण्डवा), खकनार, नेपानगर (बुरहानपुर), जीरापुर, खिलचीपुर, राजगढ़, ब्यावरा, सारंगपुर, नरसिंहगढ़ (राजगढ़), लटेरी, नटेरन, विदिशा, ग्यारसपुर (विदिशा), हजूर (भोपाल), सीहोर, आष्टा, इछावर, नसरूल्लागंज, बुधनी (सीहोर), भैंसदेही, घोड़ाडोंगरी, शाहपुर, चिचौली, बैतूल, मुलताई, आठनेर, आमला (बैतूल) सीहोरा, पाटन, मझौली, कुन्डम (जबलपुर), कटनी, रीठी, विजयराघवगढ़, बहोरीबंद, ढीमरखेड़ा, बडवारा, बरही (कटनी), गाडरवाडा, करेली, गोटेगांव (नरसिंहपुर), नैनपुर, मण्डला (मण्डला), डिण्डोरी, शाहपुरा (डिण्डोरी), छिन्दवाड़ा, जुन्नरदेव, परासिया, सोंसर, पांडुर्णा, अमरवाड़ा, चौरई, हरई, मोहखेड़ा (छिन्दवाड़ा), सिवनी, केवलारी, लखनादौन, बरघाट, कुरई, घंसौर, छपारा (सिवनी), बालाघाट, लांजी, बैहर, बारासिवनी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(इ) 245.0 मि. मी. से 450.0 मि. मी. तक.—तहसील दमोह (दमोह), हजूर (रीवा), गोहाक (शहडोल), जबलपुर (जबलपुर), नरसिंहपुर, तेन्दूखेड़ा (नरसिंहपुर), निवास, बिछिया, घुघरी, नारायणगंज (मण्डला), तामिया (छिन्दवाड़ा), घनोरा (सिवनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(ई) 450.1 मि. मी. से अधिक तक.—तहसील मनासा (नीमच) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

2. जुताई.—जिला श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, छतरपुर, सागर, दमोह, सतना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सिंगरौली, शाजापुर, मंदसौर, झाबुआ, खरगौन, बुरहानपुर, भोपाल, सीहोर, जबलपुर, कटनी, मण्डला तथा सिवनी में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

3. बोनी.—जिला सिंगरौली में फसल तिल, उड़द, मक्का व डिण्डोरी में धान, सोयाबीन, राहर व श्योपुर, ग्वालियर, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, मंदसौर, उज्जैन, भोपाल, शाजापुर, झाबुआ, खरगौन, बड़वानी, बुरहानपुर, राजगढ़, सीहोर, हरदा, जबलपुर, कटनी, मण्डला, छिन्दवाड़ा तथा सिवनी में खरीफ फसल की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

जिला श्योपुर, मंदसौर, मण्डला में रोपाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

4. फसल स्थिति.—

..

5. कटाई.—

..

6. सिंचाई.—जिला ग्वालियर, गुना, छतरपुर, सागर, सतना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली, मंदसौर, झाबुआ, खरगौन, बड़वानी, विदिशा, भोपाल, सीहोर, बैतूल, नरसिंहपुर, बालाघाट में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

7. पशुओं की स्थिति.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है।

8. चारा.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

9. बीज.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

10. खेतिहर श्रमिक.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं।

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 11 जुलाई, 2012

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि.मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
*जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. अम्बाह	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. पोरसा	..		(2) ..		
3. मुरैना	..				
4. जौरा	..				
5. सबलगढ़	..				
6. कैलारस	..				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	163.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	143.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	184.2				
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. अटेर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. गोहद	..				
4. मेहगांव	..				
5. लहार	..				
6. मिहोना	..				
7. रौन	..				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	123.7		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	99.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	62.0				
4. घाटीगांव	106.0				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवड़ा	129.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	113.0		(2)	
3. भाण्डेर	62.0				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	119.8		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	123.2		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	143.0				
4. नरवर	116.0				
5. करैरा	99.0				
6. कोलारस	110.0				
7. पोहरी	161.0				
8. बदरवास	180.0				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. मुँगावली	33.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	111.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. अशोकनगर	74.0				
4. चन्देरी	92.0				
5. शाढौरा	. .				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	84.5		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. राघोगढ़	81.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बमोरी	89.0				
4. आरोन	50.0				
5. चाचौड़ा	166.0				
6. कुम्भराज	166.0				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	144.6		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	77.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	155.0				
4. मोहनगढ़	. .				
5. टीकमगढ़	137.0				
6. लिधौरा	. .				
7. बल्देवगढ़	99.0				
8. खरगापुर	वर्षामापी यंत्र नहीं.				
9. पलेरा	108.0				
10. ओरछा	38.0				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	101.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	68.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	97.0				
4. छतरपुर	97.4				
5. राजनगर	32.0				
6. बिजावर	108.0				
7. बड़ामलहरा	169.8				
8. बकस्वाहा	84.0				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	113.4		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	94.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	177.0				
4. पवई	113.1				
5. शाहनगर	90.0				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	56.6		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	65.8		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	130.2				
4. सागर	102.8				
5. रेहली	46.6				
6. देवरी	65.0				
7. गढ़ाकोटा	103.4				
8. राहतगढ़	20.0				
9. केसली	123.2				
10. मालथोन	85.8				
11. शाहगढ़	130.0				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	167.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	53.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	275.6				
4. पथरिया	108.0				
5. जवेरा	172.0				
6. तेन्दूखेड़ा	143.6				
7. पटेरा	122.0				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	33.7		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मझगावां	9.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. रामपुर-बधेलान	20.0				
4. नागौद	11.3				
5. उचेहरा	28.0				
6. अमरपाटन	5.2				
7. रामनगर	86.0				
8. मैहर	10.0				
9. बिरसिंहपुर	..				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ल्यौंथर	84.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	189.1		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. सेमरिया	..				
4. मऊगंज	62.4				
5. हनुमना	61.6				
6. हजूर	406.0				
7. जबा	..				
8. गुढ़	171.8				
9. रायपुरकर्जुलियान	150.0				
10. नईगढ़ी	..				
11. मनगावां	..				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	230.0		4.(1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	181.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. जैसिंहनगर	209.0				
4. जैतपुर	201.0				
5. बुढ़ार	109.0				
6. गोहाक	352.0				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	64.1		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	72.6		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	158.0				
4. पुष्पराजगढ़	187.4				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	171.2		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	131.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मानपुर	196.0				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	169.2		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	67.2		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मझौली	138.2				
4. कुसमी	101.0				
5. चुरहट	145.9				
6. रामपुरनैकिन	47.5				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं तिल, उड़द, मक्का की बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगरौली					
जिला मन्दासौर :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य एवं रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	151.4		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	213.8		(2)	
3. मल्हारगढ़	142.0				
4. गरोठ	209.0				
5. मन्दासौर	67.0				
6. धुन्धडका	88.0				
7. सीतामऊ	110.8				
8. शामगढ़	215.0				
9. संजीत	179.0				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. जावद	99.8		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	114.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मनासा	1919.0				
*जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जावरा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. आलोट	. .		(2) . .		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	. .				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	93.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	61.6		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	94.8				
4. घटिया	59.0				
5. उज्जैन	46.0				
6. बड़नगर	85.2				
7. नागदा	92.0				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	85.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	175.2		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	156.0				
4. आगर	115.0				
5. बड़ौद	84.0				
6. शाजापुर	82.4				
7. शुजालपुर	84.0				
8. कालापीपल	94.0				
9. गुलाना	108.0				

1	2	3	4	5	6
*जिला देवास :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. सोनकच्छ	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. टोंकखुर्द	..		(2) ..		
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नौद	..				
6. खातेगांव	..				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	23.2		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	10.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	25.7				
4. झाबुआ	9.0				
5. राणापुर	10.0				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. जोवट	58.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	18.82		(2) ..		
3. उदयगढ़	13.6				
4. भामरा	44.0				
5. सोण्डवा	33.0				
6. कट्टीवाड़ा	86.9				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	74.2		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	35.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. धार	24.2				
4. कुक्षी	19.5				
5. मनावर	27.0				
6. धरमपुरी	28.0				
7. गंधवानी	18.0				
8. डही	6.0				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	..				
4. महु	..				
(डॉ. अम्बेडकरनगर)					
जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	75.2		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सनावद	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. महेश्वर	112.0				
4. सेगांव	35.0				
5. करही	..				
6. खरगोन	24.7				
7. गोगावां	67.0				
8. कसरावद	67.0				
9. मुल्ठान	..				
10. भगवानपुरा	54.3				
11. भीकनगांव	61.0				
12. झिरन्या	99.0				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	15.5		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	76.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. राजपुर	52.0				
4. सेंधवा	67.0				
5. पानसेमल	32.0				
6. पाटी	13.0				
7. निवाली	64.0				
8. अंजड	76.0				
9. वरला	67.0				
जिला पूर्व-निमाड़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	167.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	141.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	71.0				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	52.2		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	122.2		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	153.7				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	198.2		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	70.5		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	71.0				
4. पचौर	..				
5. ब्यावरा	128.4				
6. सारंगपुर	131.1				
7. नरसिंहगढ़	197.4				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. ..
1. लटेरी	65.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	38.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	40.4				
4. बासौदा	46.4				
5. नटेरन	137.0				
6. विदिशा	176.0				
7. ग्यारसपुर	89.0				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	42.2		4. (1) ..	6. ..	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	147.6		(2) ..		
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	127.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. श्यामपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. आष्टा	117.0				
4. जावर	..				
5. इछावर	154.3				
6. नसरुल्लागंज	120.0				
7. बुधनी	113.0				
8. रेहटी	..				

1	2	3	4	5	6
*जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. रायसेन	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. गैरतगंज	..		(2) ..		
3. बेगमगंज	..				
4. गोहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	..				
8. उदयपुरा	..				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैसदेही	56.2		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	173.4		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुर	96.4				
4. चिचौली	148.9				
5. बैतूल	148.1				
6. मुलताई	88.6				
7. आठनेर	74.9				
8. आमला	191.0				
*जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. सिवनी-मालवा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. होशंगाबाद	..		(2) ..		
3. बाबई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. वनखेड़ी	..				
8. पचमढ़ी	..				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	..				
4. हण्डिया	..				
5. रहटगांव	..				
6. सिराली	..				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	140.2		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	219.1		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	346.8				
4. मझौली	88.2				
5. कुण्डम	209.6				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	107.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	144.9		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघवगढ़	123.0				
4. बहोरीबंद	154.8				
5. ढीमरखेड़ा	152.5				
6. बड़वारा	75.6				
7. बरही	167.0				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	95.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. करेली	183.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नरसिंहपुर	246.0				
4. गोटेगांव	125.0				
5. तेन्दूखेड़ा	256.0				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. . .	7. पर्याप्त.
1. निवास	305.2		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	246.3		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	183.3				
4. मण्डला	219.2				
5. घुघरी	265.3				
6. नारायणगंज	282.0				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. धान, सोयाबीन व राहर की बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. . .	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	181.6		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	210.4		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	76.8		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	231.2		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	179.2				
4. जामई (तामिया)	256.8				
5. सोंसर	121.0				
6. पांडुर्णा	85.0				
7. अमरवाड़ा	81.2				
8. चौरई	117.8				
9. बिछुआ	28.9				
10. हरई	54.8				
11. मोहखेड़ा	56.0				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. धान की रोपाई हेतु जुताई एवं खरीफ की बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. . .	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	80.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	168.2		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. लखनादौन	106.0				
4. बरघाट	86.6				
5. कुरई	63.0				
6. घंसौर	149.0				
7. धनोरा	279.5				
8. छपारा	173.1				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	135.8		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	127.8		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	190.0				
4. वारासिवनी	80.2				
5. कटंगी	41.2				
6. किरनापुर	..				

टीप.— *जिला मुरैना, रतलाम, देवास, रायसेन, होशंगाबाद से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(510)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2012.